शहरी विकास मंत्रालय के संबंध में अगस्त, 2008 माह के दौरान किए गए महत्वपूर्ण कार्यों का मासिक सार जिसे मंत्रिपरिषद, विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सचिवों आदि को परिचालित किया जाना है

***

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2008 के दौरान किए गए महत्वपूर्ण नीति निर्णयों/ कार्यों का मासिक सार इस प्रकार है :-

1. महत्वपूर्ण नीति संबंधी मामले

(i) 24 तिलक मार्ग, नई दिल्ली में जोन डी में आने वाले 2.58 एकड़ (1.04 हेक्0) माप वाले क्षेत्र के भू-उपयोग को "सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं" से "सरकारी कार्यालय " में बदलने हेतु शहरी विकास मंत्रालय द्वारा दिनांक 27.8.08 को एक अधिसूचना जारी की गई है ।

(ii) 12.8.2008 को जारी अधिसूचना के तहत मास्टर प्लान-2021 में विभिन्न उपखण्डों से संबंधित निश्चित संशोधन किए गए हैं ।

(iii) दिनांक 4.8.2008 को सचिव(यूडी) की अध्यक्षता में दिल्ली के पार्किंग लाट्स के वैज्ञानीकि प्रबंधन पर एमसीडी संबंधी परियोजना पर एक बैठक आयोजित की गई थी । यह परियोजना राष्ट्रीय शहरी परिवहन नीति दिशानिर्देशों के साथ दिल्ली में पार्किंग के आईटीएस आधारित प्रबंधन की व्यवस्था करती है ।

(iv) चेन्नै मेट्रो प्रोजेक्ट एण्ड ओआरआर प्रोजेक्ट, हैदराबाद हेतु वित्तीय वर्ष 2008-09 जेबीआईसी ओडीए ऋण पैकेज की प्रथम किस्त के लिए प्रारुप सहमति पर ऋण परामर्शदात्री की बैठक दिनांक 18.8.2008 को आर्थिक कार्य विभाग में आयोजित की गई थी ।

(v) शहरी परिवहन आयोजना स्कीम के तहत विभिन्न यातायात एवं परिवहन अध्ययन, सर्वेक्षण एवं डीपीआर के तैयार करने इत्यादि को शुरु करने के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता को 40% से बढ़ाकर 80%(वास्तविक डीपीआर के मामले में 50%) कर दिया गया है । सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों/ अन्य संबंधित संगठनों को मंत्रालय के दिनांक 26.8.2008 के पत्र के माध्यम से जानकारी दे दी गई है ताकि वे शहरी परिवहन आयोजना एवं कार्यान्वयन संबंधी अपने विकास स्कीमों हेतु केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्राप्त कर सके ।

(vi) वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के अधिकार प्राप्त संस्थान एवं अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित प्रारुप छूट सहमति पर आधारित मेसर्स नवभारत द्वारा

स्थापित संघ को हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना हेतु रियायत आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया है ।

(vii) मुंबई मेट्रो के मानखुर्द-बांद्रा-चारकोप कोरिडोर हेतु मानक एवं विनिर्देशन नियम पुस्तिका समेत प्रारुप रियायत सहमति जिसे महाराष्ट्र सरकार द्वारा शहरी विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय के परामर्श से अंतिम रुप दिया गया था । वित्त मंत्रालय के अधिकार प्राप्त संस्थान एवं अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदन दिया जा चुका है । अधिकार प्राप्त समिति ने 25.8.2008 को आयोजित अपनी बैठक में वित्त मंत्रालय के वीजीएफ के अंतर्गत 766 करोड़ रु0 की परियोजना लागत के आधार पर 20% सिद्धांततः सिफारिश किया था ।

(viii) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के अंतर्गत कार्यों की मुख्य बातें:-

(क) दिनांक 19.8.2008 एवं दिनांक 29.8.2008 को सीएसएमसी की दो बैठकें आयोजित की गई थी ।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा अगस्त, 2008 में 7153.18 लाख रु0 जारी किया गया ।

(ग) दिनांक 1.8.2008 को कोलकाता में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए क्षेत्रीय समीक्षा बैठके आयोजित की गईं ।

(घ) जवाहरलाल नेहरु राष्ट्रीय नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत नगर विकास योजना (सीडीपी), समझौता ज्ञापन(एमओए) एवं केन्द्रीय मंजूरी एवं निगरानी समिति की बैठक (सीएसएमसी) के संबंध में प्रगति रिपोर्ट अनुलग्नक-I में है ।

(ix) छोटे और मझोले कस्बों के लिए शहरी अवस्थापना विकास स्कीम के अंतर्गत किए गए कार्यों के मुख्य अंश :-

यूआईडीएसएसएमटी की केन्द्रीय सहायता स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2008-09 हेतु 877.69 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्दिष्ट किया गया है ।

अगस्त 2008 के दौरान:-

(क) वित्त मंत्रालय को अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि जारी करने के लिए की गई संस्तुतिः- पहली किस्त (मध्य प्रदेश 26.41 करोड़ रुपए, आंध्र प्रदेश 159.60 करोड़ रुपए, हिमाचल प्रदेश 0.86 करोड़ रुपए, गुजरात 24.99 करोड़ रुपए, पश्चिमी बंगाल 37.13 करोड़ रुपए, कर्नाटक 31.44 करोड़ रुपए, राजस्थान

85.74 करोड़ रुपए, तमिलनाडु 48.78 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 37.13 करोड़ रुपए, कर्नाटक 31.44 करोड़ रुपए, राजस्थान 85.74 करोड़ रुपए, तमिलनाडु 48.78 करोड़ रुपए, उत्तर प्रदेश 37.1 3 करोड़ रुपए और दादरा और नगर हवेली 7.45 करोड़ रुपए) ।

दूसरी किस्त जारी करने का प्रस्ताव गुजरात (6 परियोजनाओं के लिए 15.90 करोड़, तमिलनाडु (60 परियोजनाओं के लिए 143.05 करोड़ रुपए), आंध्र प्रदेश (5 परियोजनाओं के लिए 27.52 करोड़ रुपए) ।

अगस्त, 2008 तक संचयी आधार पर 373 कस्बों के लिए 457 परियोजनाओं हेतु 2692.82 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता राशि की एक किशत जारी की गई है और 17.54 करोड़ रुपए की राशि की दूसरी किशत 3 राज्यों में 9 कस्बों में 9 परियोजनाओं के लिए जारी की गई है अर्थात 2710.36 करोड़ रुपए की कुल राशि 373 कस्बों में 457 परियोजनाओं के लिए जारी की गई है ।

(ख) 16 राज्यों ने जून, 08 की क्यूपीआर भेजी :- मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, असम, बिहार, हरियाणा, पंजाब और झारखण्ड जिनकी जांच की जा रही है ।

(ग) आंध्र प्रदेश से 2 संशोधित यूसी, महाराष्ट्र से 1यूसी और राजस्थान से 2यूसी (कुल 5 यूसी) की टीसीपीओ द्वारा जांच की जा रही है ।

(घ) उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के लिए एसएलएससी बैठक की गई ।

(ड.) संयुक्त सचिव(मिशन) की अध्यक्षता में यूआईडीएसएसएमटी परियोजनाओं और सुधार एजेंडा की प्रगति का आकलन करने के लिए 9 उत्तरी राज्यों की समीक्षा बैठक 12 अगस्त, 2008 को की गई ।

(X) नेताजी नगर(नई दिल्ली में सरकारी आवास स्कीम) के पुनर्विकास हेतु परियोजना के अंतर्गत की गई प्रगति:-

(क) प्रारुप सीसीईए नोट वित्त मंत्रालय को प्रेषित किया गया है और प्रधानमंत्री कार्यालय से टिप्पणी/सूचना मांगी गई है ।

(ख) एनबीसीसी के सीएमडी ने बताया है कि टाइप-vi टावर के लिए निविदाएं प्राप्त हुई हैं और उनकी जांच की जा रही है ।

(ग) एनबीसीसी ने निर्माण कार्य में तेज गति बनाए रखने के लिए 71 करोड़ रुपए की धनराशि जारी करने का अनुरोध किया है ।

(घ) नीलाम किए गए प्लाट के साथ वाली एक एकड़ वाणिज्यिक भूमि को बचाने और संरक्षण करने के लिए एनबीसीसी को की गई कार्रवाई की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया गया है ।

(ड.) एनबीसीसी ने सूचना दी है कि आकस्मिक वचनबद्धता का रिकार्ड रखने के लिए एक रजिस्टर तैयार किया जा रहा है ।

(च) एनबीसीसी ने सूचना दी है कि अफ्रीका एवेन्यू और सफदरजंग रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाले बाहरी सड़क और जल निकासी पर किया गया व्यय आकस्मिक निधि से पूरा किया जाएगा ।

(xi) मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर में स्थित भारत सरकार की तीन पाठ्य पुस्तक मुद्रणालयों के निजीकरण से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन में अनुपालन स्थिति / जिन कठिनाईयों का सामना किया जा रहा है, की स्थिति **अनुलग्नक-II** में दी गई है ।

(xii) सिक्किम को शामिल करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ हेतु परियोजनाओं/स्कीम हेतु एक मुश्त व्यवस्था के अंतर्गत अगस्त, 2008 में जारी धनराशियों का ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है ।

(xiii) संपदा निदेशालय में आबंटित किए गए सरकारी आवास/पेशकश किए गए / खाली और अगस्त, 2008 के अंत तक लंबित पड़े खाली कराए गए मकानों की संख्या से संबंधित ब्यौरा **अनुलग्नक-iv** में दिया गया है ।

अनुलग्नक-I

अगस्त, 2008 के दौरान जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम) के तहत प्रगति

मद	जुलाई, 2008 तक की स्थिति	अगस्त, 2008 तक की स्थिति	अद्यतन स्थिति
शहरी विकास योजना(सीडीपी)			
i . प्राप्त	63	--	जेएनएनयूआरएम के तहत सभी 63 शहरों के लिए मूल्यांकित सीडीपी
ii . मूल्यांकित	63	--	
करार ज्ञापन (एमओए)			
i . हस्ताक्षरित	62	-	62
केन्द्रीय संस्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) बैठके			
i .आयोजित बैठकों की संख्या	56*	2*	58*
ii . अनुमोदित परियोजनाओं की संख्या	333	5	338
iii.वित्त मंत्रालय द्वारा जारी एसीए	4207.89 करोड़ रू0	179.48 करोड़ रू0	4387.37 करोड़ रू0

* दो विशेष सीएसएमसी बैठकों को मिलाकर, जो कि 04.06.07 और 13.06.07 को आयोजित की गई ।

अनुलग्नक-।।

मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर स्थित भारत सरकार के तीन पाठ्यपुस्क मुद्रणालयों के निजीकरण से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन में महसूस की जा रही कठिनाइयों की स्थिति

****

मंत्रिमंडल ने दिनांक 1.2.2006 को हुई अपनी बैठक में मैसूर, चंडीगढ़ और भुवनेश्वर स्थित भारत सरकार के तीन पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों का निजीकरण करने का निर्णय लिया था ।

पाठ्यपुस्तक मुद्रणालयों के निजीकरण से संबंधित मंत्रिमंडल के निर्णय के कार्यान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को देखते हुए इस मंत्रालय के दिनांक 9.8.07 के अ.शा.पत्र के तहत दिनांक 30.8.2008 तक समय बढ़ाने की मांग की गई है । मंत्रिमंडल सचिवालय से उत्तर अभी प्राप्त होना है ।

****

अनुलग्नक-III

अगस्त,2008 माह के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के संबंध में परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपये में)

क्र0सं0	परियोजना का नाम	जारी राशि
1	थाउबाल जलापूर्ति स्कीम, मणिपुर का सुधार (निष्पादन एजेंसीः राज्य सरकार)	45.49 *
2	काचिंग जलापूर्ति स्कीम, मणिपुर (निष्पादन एजेंसीः राज्य सरकार)	7.31 *
3	छिंगा, मणिपुर के पुराने शोधन संयंत्र का उन्न्यन (निष्पादन एजेंसीः राज्य सरकार)	38.95 *
4	नींगथीम्पुखुरी जलापूर्ति स्कीम का सुधार (निष्पादन एजेंसीः राज्य सरकार)	41.98 *
5	अगरतला जल निकास प्रणाली का सुधार (पाकेट-II) - अगरतला, त्रिपुरा मे कलपनिया खल (2.55 कि.मी.) और अखोरा खल जल निकास(1.8 कि.मी.) के शेष भाग का निर्माण (निष्पादन एजेंसीः राज्य एनबीसीसी लि0)	508.51 *
6	थाऊबाल, मणिपुर मे 100 बैड वाले अस्पताल का निर्माण (निष्पादन एजेंसीः एनबीसीसी लि0)	626.85 *
7	पारेन टाऊन, नागालैंड में फुटपाथ और फुटस्टॉप का निर्माण (निष्पादन एजेंसीः राज्य सरकार)	86.58 *
8	नाजीरा बिजनेस सेंटर, (मार्केट काम्पलेक्स), असम का निर्माण (निष्पादन एजेंसीः राज्य सरकार)	150.59 *
9	मोकोकचुंग टाऊन, नागालैंड हेतु सडक़ो का निर्माण (निष्पादन एजेंसीः राज्य सरकार)	46.89 *
10	जूनहेबोटो, नागालैंड में जूनहेबोटो कॉलेज एकेडमी बिल्डिंग का निर्माण (निष्पादन एजेंसीः राज्य सरकार)	50.65 *
11	त्रिपुरा मे दादनगर बस स्टेशन का निर्माण (निष्पादन एजेंसीः एनबीसीसी लि0)	319.49 *
12	गंगटोक सिक्किम में स्पोटर्स काम्पलैक्स का निर्माण (निष्पादन एजेंसीः एनबीसीसी लि0)	759.61 *

* द्वितीय/अंतिम किश्त

अनुलग्नक-iv

अगस्त,2008 के अंत तक दिल्ली में संपदा निदेशालय द्वारा आवंटित / पेशकश किए गए / खाली कराए गए सरकारी मकानों /क्वार्टरों की संख्या और लंबित बेदखली मामलों की संख्या

****

टाईप	आवंटित/ पेशकश किए गए मकानों की संख्या	स्वीकार किए गए मकानों की संख्या	मकानों की संख्या जिन्हें नामंजूर करने के कारण आगे ले जाया गया	रद्द किए गए क्वार्टरों की संख्या जिनमें इस माह के दौरान बेदखली कार्रवाई शुरू की गई है	ऐसे क्वार्टरों की कुल संख्या जिनके संबंध में बेदखली कार्रवाई चल रही है
टाईप-I	435	147	40*	17	52
टाईप-II	667	117	550	46	126
टाईप-III	328	115	213	43	157
टाईप- iv	107	44	63	04	14
टाईप- iv (स्पेशल)	52	11	41	-	18
टाईप- V क (डी-II)	31	11	20	-	45
डी-I	36	11	25	-	03
सी-II	12	08	04	-	-
सी-I व उससे ऊपर	06	01	05	-	09
हॉस्टल	64	64	45	-	02

* 248 क्वार्टरों के लिए अभी भी आवंटियों से स्वीकृति/अस्वीकृति प्रतीक्षित है ।